न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए. एस.)

प्रा0पत्र संख्या – 140/2019

दायर दिनांक – 06.09.2019

उनवान

श्रीमती सरमा देवी पत्नि श्योराज जाति गुर्जर निवासी ढाणी मुकुन्दपुरा (बिणजारी) तहसील उनियारा जिला टोंक – प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. प्रार्थीया की ओर से श्री बेणीप्रसाद मीना अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 12.07.2023

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 906 रकबा 2.19 है0 वाके ग्राम विणजारी तहसील उनियारा हाल तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक मे स्थित है। उक्त आराजी के खातेदारो से आवेदिका द्वारा उनके हिस्से को विभिन्न समय पर क्रय किया गया था तथा उसके पक्ष मे किये गये पंजीकृत विक्रय पत्रों का जरिये नामान्तरकरण वार्षिक अभिलेख जमाबन्दी मे अमल किया गया । प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी को उसके खातेदार रामबाबू पुत्र जगदीश तेली से उसका 1/10 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2013 को क्रय किया तथा उक्त हिस्सा का प्रार्थीया के पक्ष में जरिये नामान्तरकरण संख्या 662 वाके ग्राम बिणजारी किया गया तथा आवेदिका द्वारा उसके खातेदार प्रहलाद पुत्र जगदीश तेली का 3/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.07.2013 को क्रय किया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 665 द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया एवं खातेदार सीताराम पुत्र जगदीश तेली से उसका 3/25 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया, जिसका नामान्तरकण संख्या 748 से 3/25 हिस्से जमाबन्दी में अमल किया गया । उक्त तीनों पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आवेदिका का हिस्सा कुल 41/50 हिस्सा बनना चाहिये था, परन्तु लिपीकिय त्रृटि से सेग्रीगेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के वाद बनने वाली जमाबन्दी में आवेदिका का उक्त आराजी में 31/50 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त कर आवेदिका का खसरा नम्बर 906 में 41/50 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थीया की यह अधियाचना है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ख0न0 906 रकबा 2.19 है0 वाके ग्राम विणजारी तहसील उनियारा हाल तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक मे आवेदिका का हिस्सा प्रविष्टि 31/50 की जगह 41/50 हिस्सा उक्त आराजी में अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

s.136.314

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned with CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 119 सम्वत 2071–74 में वादीया का हिस्सा 7/10 दर्ज रिकार्ड है। उक्त संख्या 119 में जरिये बेचान ना0स0 748 दिनांक 05.12.2015 से वादीया ने सीताराम पुत्र जगदीश का हिस्सा 3/25 और क्रय किया गया था, जिससे उक्त खाता संख्या में वादीया का हिस्सा कुल 41/50 हो गया था। सेग्रीकेशन के समय उक्त खाता 119 से नया खाता संख्या 116 बना जिसमें वादिया का हिस्सा 41/50 के बजाय 31/50 दर्ज हो गया जो गलत है, उक्त खाता संख्या में सहखातेदार प्रहलाद,रामबाबू पुत्रान जगदीश हिस्सा 3/25–3/25 के स्थान पर 1/50–1/50 किया जाना उचित है। अतः उक्त खाता संख्या में वादीया का हिस्सा 31/50 की जगह 41/50 हिस्सा किया जाना उचित है।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 12.07.2023 को पेश हुयी। प्रार्थीया की ओर से श्री बेणीप्रसाद मीना अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि उक्त आराजी के खातेदारो से आवेदिका द्वारा उनके हिस्से को विभिन्न समय पर क्रय किया गया था तथा उसके पक्ष मे किये गये पंजीकृत विक्रय पत्रों का जरिये नामान्तरकरण वार्षिक अभिलेख जमाबन्दी मे अमल किया गया । प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी को उसके खातेदार रामबाबू पुत्र जगदीश तेली से उसका 1/10 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2013 को क्रय किया तथा उक्त हिस्सा का प्रार्थीया के पक्ष में जरिये नामान्तरकरण संख्या 662 दाके ग्राम बिणजारी किया गया तथा आवेदिका द्वारा उसके खातेदार प्रहलाद पुत्र जगदीश तेली का 3/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.07.2013 को क्रय किया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 665 द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया एवं खातेदार सीताराम पुत्र जगदीश तेली से उसका 3/25 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया, जिसका नामान्तरकण संख्या 748 से 3/25 हिस्से जमाबन्दी में अमल किया गया । उक्त तीनों पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आवेदिका का हिस्सा कुल 41/50 हिस्सा बनना चाहिये था, परन्तु लिपीकिय त्रृटि से सेग्रीगेशन की प्रकिया पूर्ण होने के बाद बनने वाली जमाबन्दी में आवेदिका का उक्त आराजी में 31/50 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त कर आवेदिका का खसरा नम्बर 906 में 41/50 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक वर्तमान रिकार्ड खाता संख्या 116 सम्वत 2071–74 प्रार्थीया श्रीमती सरमा देवी पत्नि श्योराज गुर्जर निवासी ढाणी मुकुन्दपुरा राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंव जयपुर शाखा ककोड दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया ने उक्त आराजी में उसके खातेदार रामबाबू पुत्र जगदीश तेली का 1/10 हिस्सा, प्रहलाद पुत्र जगदीश तेली का 3/5 हिस्सा एवं सीताराम पुत्र जगदीश तेली का हिस्सा 3/25 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया, उक्त तीनों पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे आवेदिका का हिस्सा कुल 41/50 हिस्सा बनना चाहिए था परन्तु लिपीकिय त्रृटि से सेग्रीगेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बनने वाली जमाबन्दी में आवेदिका का उक्त आराजी में 31/50 हिस्सा दर्ज कर दिया गया । पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बह समें कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में सेग्रीकेशन के समय उक्त खाता 119 से नया खाता संख्या 116 बना जिसमें वादिया

s.136.315

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned with CamScanner

का हिस्सा 41/50 के बजाय 31/50 दर्ज हो गया जो गलत है, उक्त खाता संख्या में सहखातेदार प्रहलाद ,रामबाबू पुत्रान जगदीश हिस्सा 3/25–3/25 के स्थान पर 1/50–1/50 किया जाना उचित है। उक्त खाता संख्या में वादीया का हिस्सा 31/50 की जगह 41/50 हिस्सा किया जाना उचित है। उपर्युक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया का प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेश दिया जाता है कि वह आराजी खाता संख्या 116 सम्वत 2071–74 ख0न0 906 रकबा 2.19 है0 वाके ग्राम बिणजारी तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक में सहखातेदार प्रहलाद पुत्र जगदीश एवं रामबाबू पुत्र जगदीश हिस्सा 3/25–3/25 के स्थान पर 1/50–1/50 दर्ज किया जाकर प्रार्थीया श्रीमती सरमा देवी पत्नि श्योराज गुर्जर निवासी ढाणी मुकुन्दपुरा राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंव जयपुर शाखा ककोड हिस्सा 31/50 के स्थान पर 41/50 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12/07/2023

त्रिलोक चन्द मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोंक)

s.136.316

Scanned with CamScanner